लक्षणा Contd. Dr. Uma Ballas, SKD III yr. (contd)

'काव्यदीपिका' में भट्टाचार्य जी ने प्राचीन आचार्यों का अनुसरण करते हुए लक्षणा की प्रसक्ति (स्थापित होने में) में केवल 'अन्वयानुपपत्ति' को ही माना है, किन्तु नागेश भट्ट आदि नवीन आचार्यों के अनुसार लक्षणा के लिए प्रधान कारण 'अन्वयानुपपत्ति' नहीं 'तात्पर्यानुपपत्ति' है। यथा — 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इस वाक्य में 'कौए से दही को बचाओ' - अन्वय की कोई अनुपपत्ति नहीं है, कौए दही जूठा करते ही हैं, इसलिए वाक्य अपने आप में संगत है।

किन्तु बोलने वाला का अभिप्राय दही को पूर्ण रूप से सुरक्षा है। वह केवल कौओं से नहीं, अपितु दही को खाने या खराब करने वाले, अन्य पक्षियों, कुत्तों तथा बिल्लियों से दही को बचाना चाहता है। इस अभिप्राय से 'काकेभ्यः' पद में लक्षणा कर 'तात्पर्यानुपपत्ति' का आश्रय लेकर 'अन्य' से रक्षा है और यही लक्षणा की मूल प्रसक्ति का कारण है।

लक्षणा के भेद — अलग-2 काव्यशास्त्रियों ने लक्षणा के भेद अपने अनुसार बताए हैं।

विश्वनाथ के अनुसार - उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार लक्षणा दो प्रकार की हुई — रूढिमूला और प्रयोजनमूला। दूसरे प्रकार से इसके पुनः दो भेद हो जाते हैं — (1) उपादान लक्षणा (2) लक्षण - लक्षणा —

'इत्येवं सा द्विविधा रूढिमूला प्रयोजनमूला च। सैयं पुनर्द्विधा स्यादुपादानं लक्षणञ्चेति॥'

① उपादान लक्षणा - जो लक्षणा अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने से सम्बद्ध किसी दूसरे पद का आक्षेप करती है, वह उपादान लक्षणा कहलाती है — 'स्वसिद्धये पराक्षेप-ऽसावुपादानलक्षणा।'

अर्थात् वाक्य के अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ के प्रतिपादन में वाच्यार्थ का भी ग्रहण होने के कारण यह उपादान लक्षणा कहलाती है। यथा - यष्टयः प्रविशन्ति — यहाँ 'यष्टि' अर्थात् 'छड़ी' या 'लाठी' का स्वयं प्रवेश संभव नहीं है अतः प्रवेश की संगति हेतु इनके द्वारा ~~अपन~~ उनको धारण करनेवाले व्यक्तियों का आक्षेप किया जाता है। यहाँ 'यष्टिरूप' 'स्वार्थ' का लक्षणा प्रक्रिया में परित्याग नहीं हुआ अतः इसे अजहत्-स्वार्था भी कहते हैं।

मम्मट ने अपने वर्गीकरण में शुद्धा लक्षणा - के द्वारा इस उदाहरण को स्पष्ट किया है और कहा जहाँ उपचार - संबंध', था अत्यन्त सादृश्य प्रतिपादन का भाव हो और उदाहरण दिया - गौर्वाहीकः, कुन्ताः प्रविशन्ति आदि। 'उपचार' को स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ ने लिखा- (उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम् (साहित्य दर्पण - 2/9 के बाद का गद्य) अर्थात् जहाँ अत्यन्त भिन्न दो पदार्थों में गुण के सादृश्यातिशय के कारण उनमें भेद का न दिखाई देना) यथा - 'सिंहो माणवकः' - इस उदाहरण में सिंह और बालक दोनों परस्पर भिन्न हैं (अत्यन्त भिन्न), किन्तु पराक्रम या तेज की उभयनिष्ठ समानता के कारण दोनों की भेद-प्रतीति तिरोहित हो जाती है। Contd.